प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.04.2024

दिनांक 18.04.2024 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 16.04.2024 को वादी अनिल कुमार S/0 स्व0 ओमपाल सिंह निवासी मकान न0 562 गांव रजापुर गाजियाबाद उ.प्र. ने अपने भाई लोकेश को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार देने के सम्बन्ध में तहरीर दी । उक्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.04.2024 को अभियुक्त राशिद पुत्र सब्बीर अहमद निवासी जे 398 सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष व अभियुक्त साहिब पुत्र सब्बीर अहमद निवासी जे 398 सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष सैक्टर 7 को राजनगर कट से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राशिद उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैने लोकेश से काफी दिन पहले डेढ लाख रू0 उधार लिये थे जिनमे से काफी रूपये वापस कर चुका हूँ फिर भी वह अपने चार पाँच लाख रूपये बताता है और आये दिन मुझे जहाँ भी मिलता है बदतमीजी करते हुए अपने पैसे मांगता है इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया फिर मैने पूरी बात अपने भाई साहिब को बताई उसके बाद हम दोनो भाईयो ने लोकेश को गोली मारने की योजना बनाई। उसके बाद दूसरे व्यक्ति साहिब से पूछा तो अपने भाई राशिद की बात का समर्थन करते हुए बताया कि साहब जब मेरे भाई राशिद ने यह सब बात मुझे बताई तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं अपने भाई के साथ घटना वाले दिन लोकेश को गोली मारने के लिए आया था।

बरामदगी –

1. एक अवैध पिस्टल
2. 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त का नाम पता-

1. राशिद पुत्र सब्बीर अहमद निवासी जे 398 सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष
2. साहिब पुत्र सब्बीर अहमद निवासी जे 398 सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

1. एसओजी टीम नगर जोन।
2. पुलिस टीम थाना कविनगर।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टप्पेबाजी करने वाले विदेशी मूल के 04 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 05 कागज की गड्डी (ऊपर-नीचे यूएसए डॉलर की करेन्सी के कुल 25 नोट कीमत 4605/- रु0), 05 फर्जी आधार कार्ड, 03 फर्जी पैन कार्ड, 17 सिम कार्ड भिन्न-भिन्न कम्पनी के व 15 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 18.04.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान आनन्द विहार बोर्डर के पास खण्डर बिल्डिंग के सामने से **04 अभियुक्त** 1. साबिर उर्फ शब्बीर पुत्र मौ0 हासिम उर्फ एनुलहक **हाल निवासी** भौवापुर देशी शराब के ठेके के पीछे डुगंर पंडित का मकान ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद व **पता** 23 सराय झाजन सिकन्दराबाद बुलन्दशहर उ0प्र0 203205 **मूल निवासी** गाँव- शंकरदी थाना राजोर जनपद मदारीपुर राज्य ढाका, बांग्लादेश उम्र 32 वर्ष। 2. अव्दुल रहीम पुत्र शाहजहान शेख **हाल निवासी** डूंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद **पता** सराय झाईन जवाईपुर सिकन्दराबाद बुलन्दशहर **मूल निवासी** गांव उत्तर राजापुर थाना राईन्दा जनपद बागेरहट राज्य खुलना बांग्लादेश उम्र 20 वर्ष। 3. अमन पुत्र वाहिद खान **हाल निवासी** डुंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद व पता विजयनगर गाजियाबाद, **मूल निवासी** गांव फुलतला थाना ओवेनगर जिला जोसोरे राज्य खुलना बांग्लादेश उम्र 27 वर्ष।

4. नवीन शेख उर्फ नवीन मिर्धा पुत्र बारेख मिर्धा **हाल निवासी** डुंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद, **पता** मकान नम्बर ई-47/12 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी पूर्वी दिल्ली, **मूल निवासी** मोहल्ला पारगंडरिया किरानी गंज थाना दक्षिण किरानी गंज विभाग ढाका बांग्लादेश उम्र 32 वर्ष व **01 अभियुक्ता** रुकसाना पत्नि अमन पुत्री सफीक **हाल निवासी** डूंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद **मूल निवासी** गाँव- शंकरदीरपार शंकरदी थाना राजोर जनपद मदारीपुर राज्य ढाका बांग्लादेश उम्र 32 वर्ष को 05 कागज की गड्डी (ऊपर-नीचे यूएसए डॉलर की करेन्सी के कुल 25 नोट कीमत 4605/- रु0), 05 फर्जी आधार कार्ड, 03 फर्जी पैन कार्ड, 17 सिम कार्ड भिन्न-भिन्न कम्पनी के व 15 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से मिली एक मोटर साइकिल को सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग दलालों के माध्यम से 10-10 हजार रूपये देकर भारत बंग्लादेश सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर अलग-अलग प्रान्तों के बड़े-बड़े शहरों में किराये पर कमरा लेकर रहने लगते हैं। वहीं पर घूमते-फिरते हम लोग भोले-भाले लोगों को यूएसए डॉलर करेन्सी दिखाकर कहते हैं। कि हमारे पास काफी डॉलर की करेन्सी है। हम स्वयं इन्हें प्रयोग नही कर सकते है। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो हम आपको सस्ते दाम में दे देंगे। आप हमें इसके बदले में भारतीय रुपया दे देना। इस पर कोई भी भोला-भाला व्यक्ति डॉलर करेन्सी लेकर रुपया देने के लिए तैयार हो जाता था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 डॉलर करेन्सी की कीमत लगभग 1600/- रु0 है। हम इसको कुल 500 रुपये में दे देते थे। इसी लालच में लेकर हम ठगी करते हैं। इसी तरह से हमने दिल्ली, पंजाब व अन्य कई राज्यों में इस प्रकार की घटना कारित की हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता का नाम व पता

1. साबिर उर्फ शब्बीर पुत्र मौ0 हासिम उर्फ एनुलहक **हाल निवासी** भौवापुर देशी शराब के ठेके के पीछे डुगंर पंडित का मकान ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद व **पता** 23 सराय झाजन सिकन्दराबाद बुलन्दशहर उ0प्र0 203205 **मूल निवासी** गाँव- शंकरदी थाना राजोर जनपद मदारीपुर राज्य ढाका, बांग्लादेश उम्र 32 वर्ष।
2. अव्दुल रहीम पुत्र शाहजहान शेख **हाल निवासी** डूंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद **पता** सराय झाईन जवाईपुर सिकन्दराबाद बुलन्दशहर **मूल निवासी** गांव उत्तर राजापुर थाना राईन्दा जनपद बागेरहट राज्य खुलना बांग्लादेश उम्र 20 वर्ष।
3. अमन पुत्र वाहिद खान **हाल निवासी** डुंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद व पता विजयनगर गाजियाबाद, **मूल निवासी** गांव फुलतला थाना ओवेनगर जिला जोसोरे राज्य खुलना बांग्लादेश उम्र 27 वर्ष।
4. नवीन शेख उर्फ नवीन मिर्धा पुत्र बारेख मिर्धा **हाल निवासी** डुंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद, **पता** मकान नम्बर ई-47/12 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी पूर्वी दिल्ली, **मूल निवासी** मोहल्ला पारगंडरिया किरानी गंज थाना दक्षिण किरानी गंज विभाग ढाका बांग्लादेश उम्र 32 वर्ष।

5. रुकसाना पत्नि अमन पुत्री सफीक **हाल निवासी** डूंगर पंडित का मकान भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद **मूल निवासी** गाँव- शंकरदीरपार शंकरदी थाना राजोर जनपद मदारीपुर राज्य ढाका बांग्लादेश उम्र 32 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- 05 कागज की गड्डी (ऊपर-नीचे यूएसए डॉलर की करेन्सी के कुल 25 नोट कीमत 4605/- रु0)
- 05 फर्जी आधार कार्ड, 03 फर्जी पैन कार्ड व 17 सिम कार्ड भिन्न-भिन्न कम्पनी के
- 15 मोबाइल फोन बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्त साबिर उर्फ शब्बीर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग लखनऊ में व टप्पेबाजी का 01 अभियोग थाना कोतवाली भटिण्डा पंजाब में पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम